यालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 35/2024

प्रार्थी

1. वीराराम पुत्र ताजाराम
2. पुनमाराम पुत्र ताजाराम
3. धनाराम पुत्र ताजाराम
4. अमेदाराम पुत्र ताजाराम
5. वालाराम पुत्र ताजाराम

जातियान जाट निवासी पायला कलां, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हरचन्दराम पुत्र घमंडाराम
2. केशनाराम पुत्र भेराराम
3. नरीगाराम पुत्र जेरामाराम
4. हेराजराम पुत्र जेरामाराम
5. ठाकराराम पुत्र अनाराम
6. छोगाराम पुत्र अनाराम
7. धर्माराम पुत्र अनाराम
8. तेजाराम पुत्र हराराम
9. भोमाराम पुत्र हराराम
10. बाबूलाल पुत्र हराराम जातियान प्रजापत
11. शुभानखां पुत्र रहमानखां
12. अजीमखां पुत्र रहमानखां
13. बाबूखां पुत्र वसीनखां
14. शकूरखां पुत्र वसीनखां
15. हनीफखां पुत्र वसीनखां जातियान मोयला कुम्हार
16. जीवराजसिंह पुत्र किशोरसिंह
17. गुलाबसिंह पुत्र किशोरसिंह जातियान राजपूत निवासी पायला कलां, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की [illegible]बन्दी बाबत)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:49:11 IST
Reason: Self Attested

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 27.06.2024

... मौजा राजस्व ग्राम व

...विप्रार्थीगण के खेतों के ... किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं ... से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां में खसरा संख्या 616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्राथीगर्ण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां में खसरा संख्या 616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां में खसरा संख्या 616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व ंलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन ्या गया। जिसमें पाया मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां में खसरा संख्या 6/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर खातेदारी भूमि प्रार्थी की तेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 6–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड ब्रातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की ... करवानें के लिए स्वतंत्र सके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस... नोटिस तामीली के हाजिर हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स...ार करने की उनकी ओर से स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन र योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Asiya
Date: 2024.09.04 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested